खण्ड-101, अंक-3
बुधवार, 31 वैशाख, शक संवत् 1874
(21 मई, 1952 ई0)

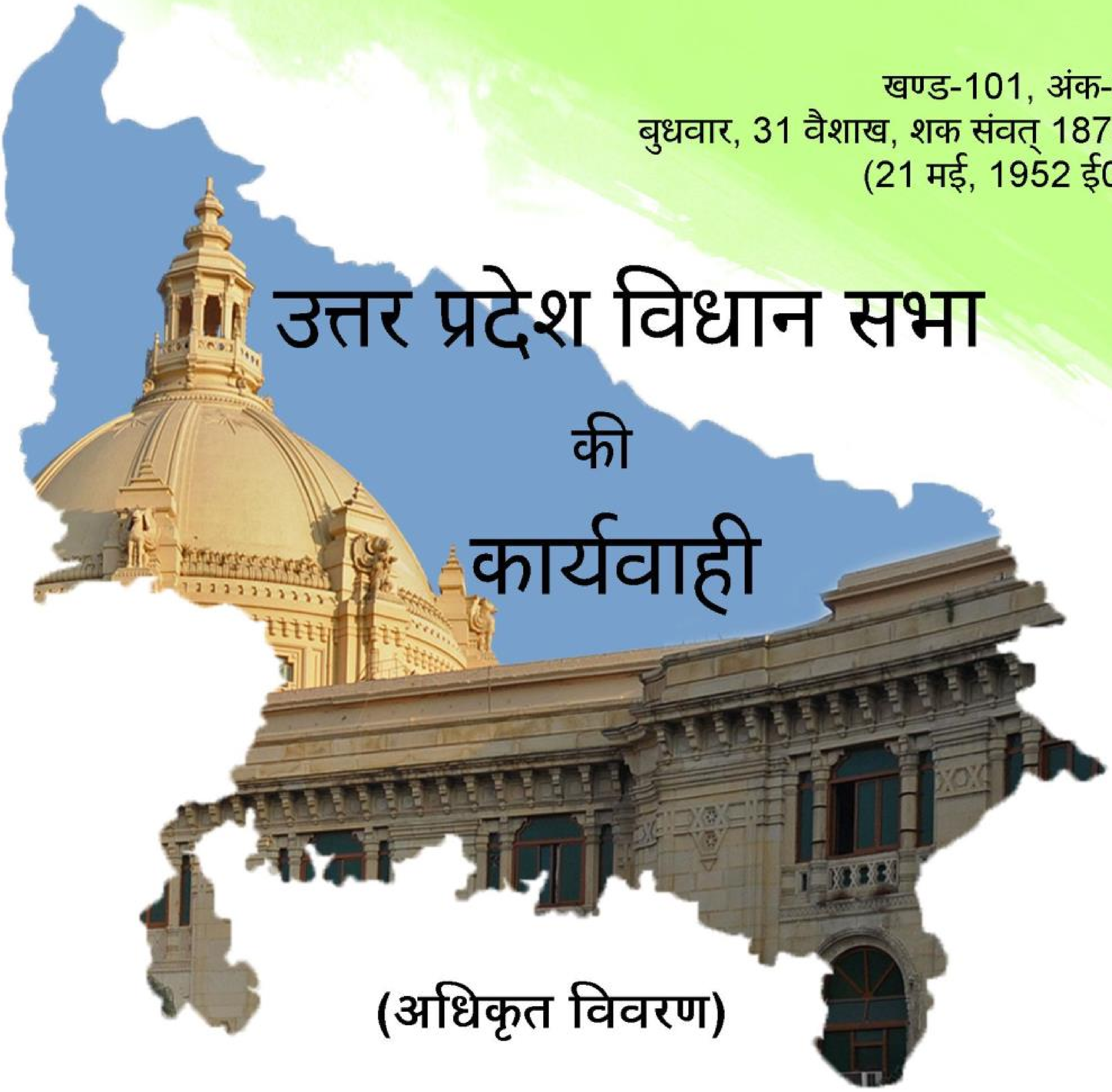

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 101 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २१ मई, १९५२ ई०

विधान परिषद् के माननीय सभापति तथा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष के साथ महामान्य राज्यपाल विधान मंडल के सदस्यों के समक्ष अभिभाषणार्थ, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में पधारे।

विधान सभा के निम्नलिखित ४०८ सदस्य उपस्थित थे--

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल लतीफ़, श्री मुहम्मद
अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, माननीय श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आनन्द स्वरूप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, माननीय श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करणसिंह, श्री
करणसिंह यादव, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किदरलाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलास प्रकाश, श्री
ख़ुशी राम, श्री
ख़ूब सिंह, श्री
ख़याली राम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री
गणेश प्रसाद जयसवाल, श्री
गिरजा रमण, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चरण सिंह, माननीय श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटा शंकर शुक्ल , श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिस्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द , श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धरम सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नफ़ीसुल हसन, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिस्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव उपनाम सत्यानन्द, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद, श्री
बलवन्त सिंह, कुंवर
बलवीर सिंह, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवत दीन, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोपाल सिंह, श्री
भोला सिंह, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री,
मन्नीलाल, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसैन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, माननीय श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह यादव, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, कुंवर
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राज किशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री,
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जयसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनाथ खैरा, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभाग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री (कुण्डा)
रामस्वरूप, श्री (दूधी)
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप विशारद, श्री
रामहरष यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, माननीय श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भरनाथ पाण्डेय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर सिंह, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र , श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
शंकर लाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल , श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
श्याममनोहर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईदा जहां मख़्फ़ी, श्रीमती
सच्चिदानन्द त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुगनचन्द्र, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम ख़ां, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हरख़याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, माननीय श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हामिद ख़ां, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

श्री कन्हैया लाल मिश्र, महाधिवक्ता भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्य के विधान मण्डल के सदस्यों को महामान्य राज्यपाल का अभिभाषण

विधान मण्डल के सदस्यों के समक्ष महामान्य राज्यपाल ने इस प्रकार अभिभाषण किया--

MEMBERS OF THE LEGISLATIVE COUNCIL AND LEGISLATIVE ASSEMBLY

I AM very happy to have this opportunity of welcoming you all as Members of the first Legislature under our Constitution. Although the Constitution came into force in 1950, the Legislature established under the previous Government of India Act, 1935 had continued to function until recently. The present Legislature is, indeed, truly representative of the people, elected as it is by the whole adult population of the State and I feel honoured in inaugurating its first session. I am glad to see many familiar faces here, as well as a number of new friends. You are inheritors of high and noble traditions of service to the people, and I have no doubt that, with your patriotic endeavour, this State--already a premier unit amongst the States in the Union—will continue to rise to greater heights of spiritual, moral and material greatness, worthy of our proud heritage. I have derived great personal satisfaction from the fact that it should have been given to me to be associated, for a while, with the great efforts that have been made by the Government, the services, the people and their representatives, in a spirit of mutual co-operation and good-will, to work for the achievement of the common weal. I take this opportunity to express my sincere appreciation of this work.

2. As you are aware, my successor, Sri K. M. Munshi, who is very well known to you, will shortly be assuming the Governorship of this important State. I have no doubt that during his tenure of office the State will continue to make that steady advance in all directions which has won for its Government and people a gratifying wide measure of good-will and appreciation. With the inauguration of this session, a new Ministry has assumed office under the guidance of that well tried and trusted statesman, my Chief Minister. His presence, and that of his colleagues, in the Government is an assurance that the welfare of the people will continue to receive that unremitting care and devoted service which have contributed so largely to the onward march of this State.

3. Much of our activity in the past had been inhibited by the compulsions and limitations of a period of transition which taxed our ingenuity and resources in many ways. A nation cannot, however, long remain in a state of flux, and we must now

settle down to tasks of construction and consolidation. Everything that can be done to bring a new robust life, and good cheer, to our large rural population has naturally the first call on our attention. We have long looked forward to the promulgation of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act, which, more than any other single measure, is designed to secure that end. The Act has now been vindicated not only by the express will of the people, but also by the highest Tribunal in the land. With this pronouncement, the final stage has been reached for putting an end to an age-long, but outmoded, feudal system and to place the hitherto suppressed peasantry of our State on its feet, so that it may lead a manly and full life free from all impediments and hindrances. Government have decided that as from July 1, 1952, the Zamindari system will be abolished, and all estates shall vest in the State. A set of draft rules, incidental to this purpose, has already been published. This measure of essential land reform bears good-will to all and ill-will to none; and I earnestly appeal to all sections of the population to co-operate in implementing its beneficent provisions.

4. But important as these measures are they should not blind us to the necessity of making an advance in other directions equally important. It should be remembered that even during the period of the country's struggle for independence its aim was not merely political freedom but also the freedom of the masses from exploitation and want. The object which we have to place before ourselves is clear. It is the development and all-round integrated progress of the community, the supply of food and other basic necessities to the individual and the provision of opportunities of intellectual and spiritual development to everyone without any distinction of caste, creed, class or sex. The key to the character of the future economic and social organisations in the country and its motive power is the ideal of a co-operative commonwealth which ensures to every individual the fullest opportunity to develop his personality and is the best guarantee for that element of social justice which must inspire all our efforts for the common good. This is an object and an ideal which does not possess mere academic interest for us. It has to be pursued and the measure in which it is implemented during the next five years will show how far the Government and the Legislature have justified the confidence which the electorate has reposed in them.

5. The realization of such an objective requires planning which, in the words of the authors of the 'First Five Year Plan,' "is essentially a way of recognizing and utilizing resources to maximum advantage in terms of defined social ends." We know

the ends and have a fair idea of our resources. We have good land, valuable forests, large reservoirs of water which can serve as inexhaustible sources of power, probably valuable minerals also, but money must be invested before we can make full use of our material resources. The achievement of independence has given birth to a hundred activities of a nation-building character. The number of development projects have to be pushed through. There must also be an increase in the scope and quality of the amenities provided by local bodies. If we want all this to be done—and there is no doubt that we do—necessary funds must be forthcoming. People have to be prepared to tighten their belts and every section of the community must be prepared to contribute to the full according to its capacity. This is really an investment in social welfare which will repay itself a hundredfold in record time in the shape not only of general material prosperity but contentment and peace. It should also be remembered that a people which fights against poverty, disease and ignorance with its back to the wall raises its moral stature to an incalculable extent.

6. I shall try now briefly to indicate to you some of the immediate objects which my Government has placed before itself to be achieved during the next five years.

7. The food problem must continue to claim priority of attention for a long time to come. Of late, it has been aggravated by scarcity conditions which have developed in some of the eastern districts of the State, consequent on successive natural calamities which have visited them in the shape of floods, droughts and hail. The first concern of my Government has been, and remains, the securing of immediate relief to the distressed. Test works have been opened in the affected areas and have already cost the State over 17½ lakhs of rupees. Care is being taken to see that the works, while providing present employment to the people, also fulfil the permanent needs of the locality. Gratuitous relief to the deserving as well as *taqavi* have been made freely available. Liberal remissions in rent and revenue have been sanctioned, and cheap foodgrains under the Austerity Provisions Scheme have also been made available to the afflicted population.

8. My Government are fully alive to the problem and will spare no pains to overcome the immediate stresses of a trying situation. But these are only temporary palliatives Government recognise the need of long-term measures to provide new sources of irrigation and agricultural expansion for an effective improvement in the State's total output of foodgrains. A large fleet of tractors has been utilized for extensive land reclamation

work and for assisting private farmers to break up new lands. The steps taken during the last two years have resulted in the extension of cultivation over 11 lakh acres of barren and forest land, and in the addition of 13 lakh acres to the area under irrigation. There is still, however, considerable water power which is going waste and can be harnessed for fruitful purposes. My Government are determined to press into service all possible sources of major and minor irrigation. The Banganga project in the Basti district, designed to irrigate over 22,000 acres, should begin to function by the end of this year. Surveys on similar projects in other eastern districts are also under way. In pursuance of the State's masonry wells scheme, 26,760 new masonry wells have already been sunk and another 10,500 are under construction concentrated principally in the eastern districts which are the most hit by scarcity conditions. It is hoped to construct 5,000 tube-wells, a large number of them in the eastern districts, by the end of this quinquennium. In Bundelkhand, number of dams and reservoirs are almost complete, and new ones are being taken up to intensify this part of the programme. Substantial results have, thus already been achieved, and still further improvement is expected in the near future from the projects in hand.

9. The situation seems to demand to some extent a reorientation of the policy to be followed as regards agriculture and agricultural education. There can be no relaxation of the efforts to propagate a knowledge of scientific methods in cattle-breeding, dairy-farming, and all the other subjects included under agriculture and Animal Husbandry. But such scientific knowledge has to be brought into relation with the realities of our social and economic life. It has to be remembered that the vast majority of our holdings are small and the agricultural education that we give should be such as can be helpful to the small farmer. It should be more practical than it has so far been. It should be possible now, after the abolition of the Zamindari System to devise methods of making our agriculture more economic and efficient. Consolidation of holdings has for a variety of reasons not made much headway. We hope it will be possible to achieve better results in this respect hereafter. Along with this, concentrated efforts will now be made on developing methods of co-operative farming suited to our conditions and inducing our peasantry to pool its resources by joining co-operative farms. It is also my Government's intention to explore the possibility of diverting as much of the money allocated to Agriculture as possible to increasing facilities for irrigation. Provided a regular supply of water in the season it is most needed is available, the Indian peasant can, even with his old methods, make a very considerable addition to his output and help in the solution of the food problem.

10. Although considerable headway has been made in the direction of making the State self-sufficient, under the short-term self-sufficiency plan, the solution of this problem still demands that measures of procurement and controlled distribution of foodgrains should continue. My Government have so far refused to raise food prices, in spite of the withdrawal of the Government of India's subsidy and have strained every nerve to avoid the taking of any step in that direction, although prices have been raised substantially in other parts of the country and are generally higher than those prevailing in our own. Government have already been put to a loss of about one and a quarter crores of rupees during the opening months of the current financial year in maintaining the existing prices, and the loss will go up to nine crores by the end of the year. This strain is too onerous for our limited resources and I seriously doubt if it will be possible for our exchequer to bear the burden in spite of the earnest desire of the Government not to increase prices.

11. The shortage of rainfall, and the sinking of the water level, have emphasized the necessity not only of preserving the existing forests but of planting new ones. This policy has been vigorously followed. Afforestation is being also undertaken over a long strip of land on our western border, to prevent the menacing encroachment of the Rajputana desert into the State.

12. Good progress has been made in the first year of the five-year plan relating to the State. The major irrigation and power projects, which constitute the most important part of the plan, have already accounted for an expenditure of about four crores of rupees. Progress in the direction of road schemes has been better than originally expected, and my Government propose, as soon as possible, to complete all those works which had to be left unfinished some time ago owing to limitations of finance. The five pilot projects, already functioning in the State, have continued to make good progress in rural development, and now the State Government have finalized their plans, in collaboration with the Government of India, for six more community projects in different areas of the State. A training-*cum*-development project, to meet the requirements of trained personnel for the community projects and to create a nucleus for the re-organization of the State's extension services, has already commenced work and two more such centres will soon start functioning. These community projects are intended to work on the Etawah model to improve the all-round condition of the villages, with particular emphasis on food production.

13. As a result of the working of the intensive cane development schemes, a general improvement in the standard of cultiva-

tion and in the yield of crop has been reported. The marketing side of sugarcane has assumed unusual importance in this season owing to the drastic fall in the prices of *gur* and *khandsari*. The result has been a sudden and large diversion of sugarcane to vacuum pan sugar factories. Government have been making all efforts to see that the sugarcane on the fields is accepted and crushed by the factories. Various difficulties on account of the unusual circumstances that arose this year had to be faced and special arrangements had to be made to meet them. Already the quantity crushed during this season exceeds the quantity crushed last year by about six crore maunds. Several mills are still working, and it is hoped that they will be able to utilize fully the outstanding sugarcane.

14. The labour situation has, on the whole, been peaceful during the past few months. My Government are keen on providing more amenities and on a more extended scale to workers in field and in factory. The Housing Scheme for sugar factory labour is making considerable progress and it is hoped that at least 500 houses will be ready for occupation before the next crushing season starts. The results would have been still better if necessary materials which have to be imported from outside the State, had been available. The Government have also under serious consideration plans for cleaning slums and providing houses for other workers on a large scale. It is intended to begin first with Kanpur. As you are aware, the Zamindari Abolition Act gives priority to landless workers in the matter of acquiring land and this Government has also extended its fullest co-operation to Acharya Vinoba Bhave's Bhumidan Yagya which also aims at providing land to those who possess none.

Closely related to the problem of providing houses for factory workers is that of providing houses for Government servants and other members of the middle classes. Government have under consideration schemes for building residential quarters of a cheap but comfortable design and it is their earnest desire that a fairly large number of such houses suited to the rent-paying capacity of the citizen of ordinary means may be put up during the next five years.

15. Planned and purposeful education is the corner stone on which, ultimately, must rest our entire social and economic structure. Notable improvements, in the field of education, have already been made in this State, and my Government are keen not only to maintain that advance but to take further steps towards consolidating the positions already attained and making further progress in that direction. As you are aware, a committee with Acharya Narendra Deva as Chairman has been set up to

report on the present system of Secondary Education in the State and I have every hope that its recommendations will be of great value to us in overhauling our system of education. While, it is necessary, to give the fullest opportunity to everyone possessed of the necessary talents to derive the fullest advantage from educational institutions, certain very important considerations have to be kept in mind. A system of education which creates a large army of frustrated men with no employment suited to the training which they have received is a failure. My Government are giving deep consideration to this very important question and the whole of our educational policy is to be reorientated accordingly. It must be remembered, however, that the mere addition of a number of technical subjects to the curriculum is not sufficient by itself. It only provides additional means of passing examinations and the technical knowledge acquired in school years is generally not put to any practical use. Similarly much of the training given in our technical schools goes to waste. It is the aim of my Government to bring technical and general education closer together and to bring both of them into more intimate relationship with the realities of social and economic life.

As you know, our scheme of making Primary Education universal in the State by 1951 had to be slowed down, to some extent, for financial reasons. We hope, however, to complete it within the next five years. It is also the intention of my Government to bring before you legislation for amending the University Acts which have by now become out of date.

16. Along with education there are important schemes of a far-reaching character to provide medical aid to all sections of the population. The growth of our population, and the consequent pressure on the land, have increased the intrinsic importance of the problem of finding subsidiary occupations for unemployed hands. My Government are fully persuaded that, in the interests of a balanced economy for our essentially agricultural State, the revival and development of our cottage industries must receive energetic attention, specially as the organization of heavy industries is not a simple matter. Government will, therefore, continue to do all they can to encourage the growth, multiplication and expansion of cottage industries. Every effort will be made to improve the quality of the produce and to provide marketing facilities for it.

17. In the sphere of local administration my Government are taking action to bring about a more rational relationship between district boards and the village *panchayats*—the two bodies most intimately concerned with the well-being of our rural

masses. Government also propose to establish Municipal Corporations in the leading cities of the State as soon as the details of the scheme, now under examination, have been finalised. The elections to local bodies will be held at an early date, soon after completing the steps, now in train, to bring the existing provisions about these elections in accord with the spirit of our Constitution and the needs of the times. You will, in due time, be asked to pass necessary legislation to give effect to the above purposes.

18. To make the system of administration of justice in the State more suited to our needs, genius and traditions, my Government have already effected a number of judicial reforms. Government have now received the report of the Judicial Reforms Committee and of the Committee appointed to look into the question of setting up regular civil courts in Kumaon and Jaunsar Bawar. These are being examined and action on their recommendations will, it is hoped, be taken soon.

19. For the success of any plan of economic or social uplift, it is essential that it should carry the willing co-operation of the people for whom it is intended. Unless the people will help themselves, governmental activity alone can hardly go very far, especially in a country, like ours, which has been under foreign domination for a long period and is still suffering from its after effects. My Government will continue to do all they can to execute the different nation-building projects adumbrated in our Five Year Plan. But their resources are obviously limited and cannot yield desired results in an adequate measure as speedily as we would wish. We have got enormous reserves of manpower lying idle today. Our people have to realize that they have to build up a new India, worthy of her old greatness and of the place she occupies in the comity of Nations. In the well-being and prosperity of all, lies the well-being and prosperity of each. There is no one so humble that he cannot make some useful contribution to this noble task. If the people will contribute voluntary labour, on the principle that self-help is the best form of help, tremendous progress, within a short time, can be made to impart a new life, and new vigour, to the countryside. At the same time, my Government realize the basic need for speedy action at all levels. For prompt, concrete achievement alone, even if it be on a modest scale, can arouse the enthusiasm of the people and sustain their interest.

20. A clean and efficient administration is an essential precondition of progress in any democratic State. It is all the more so in a country just emerged from foreign bondage and striving to make up for long periods of neglect and exploitation. My Government have, therefore, appointed a Committee to go into

the question of evolving a definite clear-cut and prompt procedure to deal with disciplinary matters relating to Government servants so that the State may have clean, efficient and honest services. My Government have also under review the working of the existing administrative machinery, with the object of overhauling it in such a manner that it may become an adequate instrument for implementing with the greatest possible expedition the various development and nation-building programmes, designed to improve the moral and cultural level of the people and to raise their standard of life. Realizing only too well that progress must ultimately depend upon the improvement of the finances of the State, Government are also determined to effect economies, wherever possible, and to harness all available resources in a fruitful and prudent way.

21. Owing to the fact that the newly constituted Legislature could not meet before the end of March, 1952, it became necessary for my Government to present a provisional Budget to the old Legislature and obtain a vote on account for a part of the current financial year. You will, therefore, be asked to pass in due course the usual annual Budget for the full financial year 1952-53. An Appropriation Bill relating to the Budget will also be presented after the Budget has been passed.

22. During the period when the Legislature was not in session I promulgated the U. P. State Legislature Members Prevention of Disqualification (Amendment) Ordinance, 1952. You will be asked to pass a Bill on the subject.

23. In certain parts of the State, orders for commutation of rent under section 87 of the U. P. Land Revenue Act, 1901, have been made without giving notice to the landlords. To avoid multiplicity of proceedings, and to relieve the parties from unnecessary hardship, it is proposed to regularise the position. You will, therefore, be asked to pass the U. P. Commutation of Rent (Regularization of Proceedings) Bill, 1952.

Zamindaris are being vested in the State with effect from July 1, 1952. To safeguard public interest in the interregnum you will also be asked to pass the U. P. Land Tenures (Regulation of Transfers) Bill, 1952.

24. As a result of some recent decisions of the High Court, certain defects have been discovered in the constitution of Panchayati Adalats constituted under the U. P. Panchayat Raj Act, 1947. You will, therefore, be asked to pass the U. P. Panchayat Raj (Second Amendment) Bill, 1952.

25. My Government will also ask you to pass the U. P. Sugar Factories Control (Amendment) Bill, 1952, which seeks to extend the life of the U. P. Sugar Factories Act, 1938, which

otherwise expires on June 30, 1952, for a further period of two years.

26. Some other Bills relating to miscellaneous matters will also be placed before you.

27. I have the fullest confidence that wisdom, sobriety, impartiality and farsightedness will characterize your deliberations over the weighty matters that will come up before you. Let me wish you good-bye. May God grant all strength to your elbow.

Jai Hind !

†विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्यगण,

हमारे संविधान के अधीन संगठित पहले विधान मंडल के सदस्यों के रूप में आप सबका स्वागत करने का, जो यह अवसर मुझे मिला है उससे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। यद्यपि संविधान १९५० ई० में ही प्रवर्तित हो गया था, फिर भी पिछले गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अधीन संगठित विधान मंडल ही अभी हाल तक काम करता रहा है। वर्तमान विधान मंडल ही वास्तव में जनता का सच्चा प्रतिनिधि है क्योंकि उसका निर्वाचन राज्य के सब वयस्क व्यक्तियों द्वारा हुआ है और उसके पहले सत्र का उद्घाटन करते हुये मैं गौरवान्वित और सम्मानित अनुभव करता हूं। इस सभा में बहुत से परिचित व्यक्तियों को और बहुत से नये मित्रों को देख कर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सार्वजनिक सेवा की उत्कृष्ट और उदात्त परम्पराओं के आप उत्तराधिकारी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके देशभक्तिपूर्ण प्रयत्नों से यह राज्य, जो भारत संघ के राज्यों की सबसे प्रमुख इकाई है, आत्मिक, नैतिक और भौतिक उन्नति के उत्तरोत्तर ऊंचे शिखरों पर पहुंचता जायगा। यह बात हमारी गौरवान्वित विरासत और परम्पराओं के अनुकूल ही है। मुझे इस बात से व्यक्तिगत सन्तोष है कि मुझे उन महान् प्रयत्नों में कुछ समय तक योग देने का अवसर मिल सका, जो हमारी सरकार, सेवाओं, जनता और उनके प्रतिनिधियों ने पारस्परिक सहयोग और सद्भावना से सर्वसाधारण के कल्याण की प्राप्ति के लिये किये हैं। इस अवसर पर मैं उस काम की सच्ची प्रशंसा करना चाहता हूं।

२—जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे उत्तराधिकारी श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिन्हें आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ ही दिनों में इस महत्वपूर्ण राज्य के राज्यपाल होंगे। मुझे इसमें बिल्कुल भी सन्देह नहीं है कि उनके कार्यकाल में यह राज्य दृढ़ता से सभी दिशाओं में बराबर ऐसी प्रगति करता रहेगा जिससे उसकी सरकार और उनके निवासियों को प्रभूत मात्रा में प्रसादक सद्भावना और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। इस सत्र के उद्घाटन के साथ ही उस चिर-परीक्षित और विश्वस्त राजनीतिज्ञ के, जो हमारे मुख्य मंत्री हैं, पथ-प्रदर्शन और नेतृत्व में एक नये मंत्रि-मंडल ने पद ग्रहण कर लिया है। सरकार में उनकी और उनके साथियों की उपस्थिति से इस बात का आश्वासन मिलता है कि इस राज्य के निवासियों का कल्याण उसी अविश्रान्त, सावधानी, लगन और सच्ची सेवा से जिनसे इस राज्य की प्रगति में भरपूर सहायता मिली है, किया जाता रहेगा।

३—अतीत में हमारी बहुत सी कार्रवाइयां संक्रमण काल की विवशताओं, बाधाओं और असमर्थताओं के कारण रुकी रहीं और उसमें अनेक प्रकार से हमारी दक्षता

†अंग्रेजी से अनूदित।

और हमारे साधनों की बहुत कठिन परीक्षा ली गई। कोई भी राष्ट्र बहुत दिनों तक अनवरत परिवर्तनों और अस्थिरता की दशा में नहीं रह सकता। अतएव अब हमें रचनात्मक और संघटनात्मक कार्य करने के लिये स्थिरमति हो जाना चाहिये। हमारी विशाल ग्रामीण जनता में एक नया और स्वस्थ जीवन अनुप्राणित करने और उन्हें सुखी बनाने के लिये जो कुछ भी कार्यवाही आवश्यक हो स्वभावतः उसी पर सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिये और उसी में सबसे पहले हमारा हाथ लगना चाहिये। हम बहुत समय से, बड़ी उत्सुकता से १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के प्रचारित किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी भी अन्य अकेले विधान की अपेक्षा इसमें उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने का सबसे अधिक प्रयत्न किया गया है। उक्त अधिनियम अब न केवल जनता के स्पष्ट मत से वरन् देश के उच्चतम न्यायालय से भी प्रमाणित और निर्दोष सिद्ध हो चुका है। इस घोषणा के साथ-साथ अति प्राचीन किन्तु दकियानूसी सामन्तशाही के विनाश की अन्तिम घड़ी और हमारे राज्य के दलित और शोषित कृषकों को स्वावलम्बी बनाने का सुअवसर आ गया है, जिससे कि वे पुरुषोचित और पूर्ण जीवन, जो सब प्रकार के विघ्न और बाधाओं से मुक्त हो, व्यतीत कर सकें। सरकार ने यह निश्चय किया है कि १ जुलाई, १९५२ ई० से जमींदारी प्रथा का विनाश (उन्मूलन) कर दिया जायगा और सब जमींदारियां (आस्थान) सरकार के हाथ में आ जायंगी। इस प्रयोजन से सम्बद्ध, प्रस्तावित नियमावली पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। सर्वसाधारण के कल्याण के लिये बनाये हुये भौमिक सुधार के इस अधिनियम में सद्भावना तो सब के लिये है, किन्तु द्वेष और दुर्भावना किसी के भी प्रति नहीं है। अतएव मैं जनता के सभी वर्गों और दलों से साग्रह अनुरोध करता हूं कि वे इस अधिनियम के लाभदायक उपबन्धों को कार्यान्वित कराने में सहयोग दें।

४—यद्यपि ये विधान बहुत महत्वपूर्ण हैं फिर भी हमें उनकी चकाचौंध के सामने अन्य दिशाओं में, जो उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, प्रगति करने की आवश्यकता को भूलना नहीं चाहिये। यह बात भली-भांति याद रखना चाहिये कि देश के स्वतंत्रता-संग्राम के दिनों में हमारा उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना ही नहीं था, किन्तु उसके साथ ही जनता को शोषण और निर्धनता से मुक्त करना भी था। जो उद्देश्य हमें अपने सामने रखना है वह बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा उद्देश्य जाति, धर्म, वर्ग और स्त्री-पुरुष के भेद के बिना जनता की सब प्रकार की सुसम्बद्ध उन्नति और विकास, व्यक्ति के लिये खाद्यान्न के समायोजन और उसकी अन्य मूलिक आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रत्येक व्यक्ति के आत्मिक और बौद्धिक विकास के लिये सुयोग और अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करना है। इस देश के भावी आर्थिक संघटन और सामाजिक व्यवस्था एवं उसकी प्रेरक शक्ति का आधार सहकारी समान तंत्र का आदर्श है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिये अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिये पूरा अवसर मिलता है और जो उस सामाजिक न्यायपरता का जिससे हमें आम जनता की भलाई करने के लिये प्रेरणा मिलती है, सुदृढ़ आश्वासन है। यह ऐसा उद्देश्य और प्रयोजन है जिसमें हमें केवल तात्विक अभिरुचि ही नहीं है। इसका अनुसरण करना अनिवार्य है और आगामी पांच वर्षों में जिस तत्परता से और जिस परिमाण में इसे कार्यान्वित किया जायगा उससे यह व्यक्त होगा कि सरकार और विधान मंडल ने किस मात्रा में उस आस्था और विश्वास को सफल बनाया है, जो निर्वाचकों ने उनमें निहित किया था।

५—उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये योजना बनाने की आवश्यकता है, जो 'प्रथम पंच-वर्षीय योजना' के निर्माताओं के शब्दों में वास्तव में निश्चित सामाजिक प्रयोजनों के लिये अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के निमित्त साधनों को संगठित करने और उपयोग में लाने का एक उपाय है। हम अपने उद्देश्यों और प्रयोजनों को जानते हैं और हमें

अपने साधनों का भी उचित ज्ञान है। हमारे पास अच्छी भूमि, बहुमूल्य जंगल और बड़े-बड़े जलाशय हैं, जिनसे हमें अपरिमित शक्ति और सम्भवतः मूल्यवान खनिज पदार्थ भी मिल सकते हैं, किन्तु हमें अपने भौतिक साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने से पहले उनमें धन लगाना पड़ेगा। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के फलस्वरूप ऐसे सैकड़ों कार्य हमारे सामने आ गये हैं, जिनसे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। प्रशासन का भार भी स्वभावतः बढ़ गया है और बहुत सी विकास योजनाओं को पूरा करना है। स्थानीय निकायों ने जिन सुविधाओं की व्यवस्था की है, उनकी किस्म और क्षेत्र में भी विस्तार किया जाना चाहिये। यदि हम चाहते हैं कि यह सब पूरा हो जाय और इसमें कोई संदेह नहीं कि हम ऐसा ही चाहते हैं, तो इसके लिये अपेक्षित धन की शीघ्र ही व्यवस्था की जानी चाहिये। लोगों को अपने भोजन की मात्रा में कमी करने के लिये तैयार रहना होगा और समाज के प्रत्येक वर्ग का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी क्षमता के अनुसार पूरी-पूरी सहायता करे। वास्तव में यह सामाजिक कल्याण के प्रति धन का विनियोग है जिससे बहुत जल्दी ही न केवल सामान्य भौतिक सम्पन्नता में ही वरन् सन्तोष और शांति के रूप में भी सैकड़ों गुना लाभ होगा। यह भी याद रखने की बात है कि जो राष्ट्र अपनी गरीबी, बीमारी और अज्ञानता को दूर करने के लिये अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करता है वह अपना नैतिक विकास चरम सीमा तक कर लेता है।

६—मैं अब संक्षेप में आपके सामने उन तात्कालिक उद्देश्यों को रक्खूंगा जिन्हें मेरी सरकार ने अगले पांच वर्षों में पूरा करने के लिए अपने सामने रक्खा है।

७—खाद्य समस्या की ओर हमें बहुत दिनों तक सबसे पहले ध्यान देते रहना पड़ेगा। अभाव की स्थितियों के कारण, जो अभी हाल में राज्य के पूर्वी जिलों में लगातार प्राकृतिक विपत्तियों, जैसे बाढ़, सूखा और ओलों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं, यह समस्या और भी अधिक गम्भीर हो गई है। हमारी सरकार का सबसे पहला काम यह रहा है और अब भी है कि सबसे पहले पीड़ित व्यक्तियों की तुरंत सहायता की जाय। प्रभावित क्षेत्रों में परीक्षणात्मक कार्य (टेस्ट वर्क्स) खोले गये हैं जिनपर राज्य के साढ़े सत्रह लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। इस बात का ध्यान रक्खा जा रहा है कि उक्त कार्य लोगों को इस समय काम दिलाने की व्यवस्था करने के साथ ही तत्सम्बन्धी स्थानों की स्थायी आवश्यकताओं को भी पूरा करे। उपयुक्त व्यक्तियों को मुक्त-हस्त से बिना मूल्य सहायता एवं तकावी दी गई है। लगान और मालगुजारी में उदारता से छूटें देने की स्वीकृति दी गई है और मिताहार योजना (आस्टेरिटी प्राविजनिंग स्कीम) के अधीन पीड़ित जन-समुदाय के लिए सस्ते खाद्यान्न भी उपलब्ध करा दिये गये हैं।

८—हमारी सरकार इस समस्या के प्रति पूर्णरूप से सजग है और इस कठिन परिस्थिति की तात्कालिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये वह कोई बात उठा नहीं रखेगी। किन्तु यह केवल तात्कालिक उपचार ही है। इस राज्य के खाद्यान्न के कुल उत्पादन में प्रभावकारी सुधार करने के प्रयोजन से सिंचाई और कृषि-विस्तार के नये साधनों की व्यवस्था करने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं या उपायों की आवश्यकता को सरकार स्वीकार करती है। बड़े परिमाण में भूमि के उद्धार के लिये और काश्तकारों को नई भूमि तोड़ने के काम में सहायता देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का उपयोग किया गया है। गत दो वर्षों में जो कार्रवाइयां की गई हैं उनके परिणामस्वरूप ऊसर और बन की भूमि के ११ लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र पर भी खेती होने लगी है और सिंचाई के क्षेत्र में भी १३ लाख एकड़ की वृद्धि हो गई है। फिर भी हमारे पास पर्याप्त जल-शक्ति है, जो व्यर्थ जाती है और जिसका उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जा सकता है। हमारी सरकार सिंचाई के सभी छोटे और बड़े साधनों को काम में लाने के लिए कृत संकल्प है। बस्ती जिले की बानगंगा योजना, जिससे २२,००० एकड़ से अधिक भूमि सींची जा सकेगी इस वर्ष के अन्त तक चालू हो जायगी। अन्य

पूर्वी जिलों में भी इसी प्रकार की दूसरी योजनाओं के लिए जांच-पड़ताल की जा रही है। राज्य की पक्के कुओं की योजना के अनुसार २६,७६० नए पक्के कुएं बनाए जा चुके हैं और १०,५०० और पक्के कुएं मुख्यतः पूर्वी जिलों में बनाए जा रहे हैं, जहां सब से अधिक अकाल पड़ा करता है। ऐसी आशा है कि इन पांच वर्षों के अन्त तक ५,००० नलकूप बनाए जा सकेंगे जिनमें से अधिकांश पूर्वी जिलों में बनाए जायंगे। बुंदेलखंड में बहुत से बांध तथा जलाशय प्रायः बनाए जा चुके हैं और कार्यक्रम के इस भाग की प्रगति की दृष्टि से नए बांधों और जलाशयों में भी हाथ लगाया जा रहा है। इस प्रकार इतना ठोस काम तो पहले ही हो चुका है और जो योजनायें चल रही हैं उनमें भी निकट भविष्य में और अधिक उन्नति की आशा की जाती है।

९--स्थिति से कुछ इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि कृषि तथा कृषि-शिक्षा के संबंध में एक नई नीति का अनुसरण किया जाय। पशु-प्रजनन, डेरी फार्मिंग तथा कृषि एवं पशु-पालन के अन्तर्गत आने वाले अन्य समस्त विषयों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ढंगों की जानकारी का प्रचार करने के प्रयत्नों में ढील नहीं डाली जा सकती। परन्तु इस वैज्ञानिक जानकारी का हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन की वास्तविकता के साथ सामञ्जस्य स्थापित करना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि हमारे अधिकतर खाते छोटे-छोटे हैं और इस बात की आवश्यकता है कि हम जो कृषि-शिक्षा दें, वह ऐसी हो कि जिससे छोटे-छोटे किसानों को सहायता मिल सके। अब तक दी गई शिक्षा की अपेक्षा इसे और अधिक व्यावहारिक होना चाहिये। जमींदारी प्रथा के विनाश के बाद अब यह संभव हो जाना चाहिये कि हम कम पैसा लगा कर अच्छी खेती करने के उपाय ढूंढ़ निकालें। विभिन्न कारणों से खातों की चकबन्दी के काम में अधिक प्रगति नहीं हुई। हम आशा करते हैं कि इसके बाद इस सम्बन्ध में और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। इसके साथ-साथ हमारी परिस्थिति के अनुकूल सहकारिता के आधार पर फार्मिंग के ढंगों का विकास करने और सहकारी फार्मों में सम्मिलित होकर अपने साधनों को एकत्रित करने के लिये किसानों को प्रेरित करने के प्रयोजन से अब और अधिक प्रयत्न किये जायंगे। हमारी सरकार का यह भी विचार है कि कृषि के लिये जितना रुपया नियत किया गया है उसमें से यथासम्भव अधिक से अधिक रुपया सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये लगाया जाय। यदि उन मौसमों में, जिनमें पानी की सब से अधिक आवश्यकता होती है, पानी बराबर मिलता रहे तो भारतीय किसान अपने पुराने ढंगों के द्वारा भी अपनी पैदावार बहुत बढ़ा सकता है और खाद्य समस्या को हल करने में सहायता मिल सकती है।

१०--यद्यपि अल्पकालीन आत्मनिर्भरता योजना के अन्तर्गत राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफी प्रगति हुई है, फिर भी इस समस्या को हल करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि गल्ला वसूली और खाद्यान्नों के नियंत्रित वितरण के संबंध में कार्यवाहियां जारी रक्खी जायं। भारत सरकार द्वारा सहायता बन्द कर देने पर भी हमारी सरकार ने अब तक खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ाना मंजूर नहीं किया है और यद्यपि देश के अन्य भागों में मूल्य काफी बढ़ा दिये गये हैं और वे हमारे यहां के मूल्यों से आमतौर पर काफी बढ़े-चढ़े हैं, हमारी सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाई न करने का भरसक प्रयत्न किया है। वर्तमान मूल्यों को ज्यों का त्यों बनाये रखने में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष के आरम्भ के महीनों में सरकार को लगभग एक करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है और वर्ष के अन्त तक यह घाटा बढ़ कर नौ करोड़ रुपये हो जायगा। अपने सीमित साधनों का ध्यान रखते हुये यह बोझ हमारे लिये बहुत भारी होगा और मुझे बड़ा संदेह है कि सरकार की मूल्यों को न बढ़ाने की उत्कट इच्छा होते हुये भी हमारा राजस्व इस भार को उठा सकेगा।

११--वर्षा की कमी और पानी का तल नीचा हो जाने के कारण न केवल वर्तमान जंगलों को सुरक्षित रखने की ही आवश्यकता है बल्कि नये जंगल लगाने की भी आवश्यकता है।

इस नीति का तत्परता से अनुसरण किया जा रहा है। इस राज्य में राजपूताना के मरुस्थल के प्रवेश के आतंक को रोकने के लिये हमारी पश्चिमी सीमा के लम्बे भू-खंड पर भी जंगल लगाये जा रहे हैं।

१२—राज्य की 'पंचवर्षीय योजना' के प्रथम वर्ष में अच्छी प्रगति हुई है। भू-सिंचन तथा विद्युत् जैसी बड़ी-बड़ी योजनाओं, जो पंच-वर्षीय योजना के बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं, के कारण लगभग चार करोड़ रुपया व्यय हो चुका है। सड़क योजनाओं के संबंध में आशातीत प्रगति हुई है और हमारी सरकार का विचार है कि वह उन कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर दे, जो धन के अभाव के कारण अधूरे रह गये थे। राज्य में उन पांच पाइलट योजनाओं की प्रगति, जो राज्य में पहिले से ही चल रही हैं, ग्राम-सुधार के कार्य में बराबर अच्छी रही हैं और अब राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से राज्य के विभिन्न भागों में छः और सर्वोन्नति योजनाओं के संबंध में अपने कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है। सर्वोन्नति योजनाओं के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा राज्य विस्तार सेवाओं के पुनस्संगठन के निमित्त एक केन्द्र स्थापित करने के लिये एक ट्रेनिंग एवं विकास योजना के अनुसार काम होने लगा है और ऐसे ही दो और केन्द्र शीघ्र ही काम करने लगेंगे।

गांवों की दशाओं में हर प्रकार का सुधार करने के लिये इन सर्वोन्नति योजनाओं का लक्ष्य, जिनमें अन्न उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया है, इटावा योजना के अनुसार कार्य करना है।

१३—प्रकृष्ट गन्ना विकास योजना को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप खेती करने के स्तर और फसल की उपज में सामान्य रूप से सुधार हुआ बतलाया जाता है। जहां तक गन्ने के क्रय-विक्रय का सवाल है इस मौसम में गुड़ तथा खांडसारी की कीमतों में भारी कमी हो जाने से असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि गन्ना सहसा और बहुत बड़ी मात्रा में वैकुअमपैन शुगर फैक्ट्रियों में जाने लगा। सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है कि खेतों में जो गन्ना है उसे फैक्ट्रियों में पेरने के लिये ले लिया जाय। इस वर्ष असाधारण परिस्थितियों के कारण, जो विभिन्न कठिनाइयां पैदा हो गई थीं उनका सामना करना पड़ा और उन्हें दूर करने के लिये विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। इस मौसम में जितना गन्ना पेरा जा चुका है वह पिछले वर्ष पेरे गये गन्ने से ६ करोड़ मन अधिक है। कई मिलें अभी तक काम कर रही हैं और आशा की जाती है कि ये फैक्ट्रियां बाकी बचे गन्ने को भी उपयोग में ला सकेंगी।

१४—पिछले कुछ महीनों में श्रम-स्थिति सामान्य रूप से शान्ति-पूर्ण रही। हमारी सरकार खेतों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये और अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिये उत्सुक है। गन्ने के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये गृह-निर्माण योजना के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति हो रही है और यह आशा की जाती है कि गन्ना पेरने के अगले मौसम के प्रारम्भ होने से पहिले ही कम से कम ५०० मकान तैयार हो जायेंगे। इस संबंध में और भी अच्छे परिणाम निकलते यदि आवश्यक भवन निर्माण सामग्री, जिसे राज्य के बाहर से प्राप्त करना पड़ता है, मिल गई होती। दरिद्र बस्तियों (स्लम्स) की सफाई करने और अन्य मजदूरों के लिये बड़े पैमाने पर मकानों की व्यवस्था करने की योजना पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। इस योजना को सबसे पहिले कानपुर में प्रारम्भ करने का विचार है। जैसा कि आपको मालूम है, जमींदारी विनाश अधिनियम के बन जाने से भूमि प्राप्त करने के संबंध में भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता दी गई है और इस सरकार ने, आचार्य विनोबा भावे के भूमिदान-यज्ञ में, जिसका लक्ष्य उन लोगों को भूमि देना है जिनके पास कुछ भी भूमि नहीं है, पूर्ण सहयोग दिया है।

कारखानों में काम करने वालों के लिये मकानों की व्यवस्था करने की समस्या के साथ ही सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य मध्यम-श्रेणी के व्यक्तियों के लिए मकान की समस्या का गहरा सम्बन्ध है। सस्ते किन्तु सुखद रहने के क्वार्टर बनवाने की

योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं और सरकार की यह हार्दिक इच्छा है कि बहुत से ऐसे मकान जिनका किराया साधारण श्रेणी के नागरिक दे सकें अगले पांच वर्षों में बन कर तैयार हो जायें।

१५—नियोजित तथा उद्देश्य-मूलक शिक्षा वह आधारशिला है जिस पर अन्ततः हमारा सम्पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक ढांचा अनिवार्यतः स्थित होना चाहिये। यह राज्य शिक्षा-क्षेत्र में अभी तक उल्लेखनीय उन्नति कर चुका है और हमारी सरकार केवल इसी बात के लिये ही अभिरुचि नहीं रखती कि यह उन्नति बनी रहे, बल्कि अब तक प्राप्त स्थिति को सुदृढ़ बनाने और उससे भी आगे बढ़ने के लिए और अधिक कार्रवाइयां करना चाहती है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के विषय में रिपोर्ट तैयार करने हेतु आचार्य नरेन्द्रदेव के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई है और मुझे आशा है कि उसकी सिफारिशें हमारे लिये अपनी शिक्षा-प्रणाली को सम्यक् रूप से सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। यद्यपि यह आवश्यक है कि सभी बुद्धि वाले व्यक्तियों को शिक्षा संस्थाओं से अधिकाधिक लाभ उठाने का अवसर दिया जाय, किन्तु इस संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें विचारणीय हैं। ऐसी शिक्षा प्रणाली जिससे निराश और ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़े जिन्हें उनके प्रशिक्षण के अनुसार काम न मिल सके, निष्फल है। हमारी सरकार इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है और तदनुसार हमारी शिक्षा-नीति में सुधार किया जायगा। फिर भी यह याद रखना चाहिये कि शिक्षा के विषयों की संख्या में कुछ और टेक्निकल विषयों को बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। इसके द्वारा केवल परीक्षा में पास होने के लिये अतिरिक्त साधन मिल जाते हैं और विद्यार्थी जीवन में प्राप्त टेक्निकल ज्ञान आगे चलकर काम में नहीं लाया जाता। इसी प्रकार हमारे टेक्निकल स्कूलों में दिया जाने वाला प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाता है। हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि सामान्य तथा टेक्निकल शिक्षण को सन्निकट लाया जाय और उनका सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की वास्तविकताओं के साथ अधिक गहरा सम्बन्ध स्थापित किया जाय।

जैसा कि आप जानते ही हैं, १९५१ ई० तक राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने की योजना को वित्तीय कारणों के आधार पर ढीला कर देना पड़ा है। मुझे आशा है कि यह योजना आगामी पांच वर्षों में पूर्ण हो जायगी। हमारी सरकार का विचार है कि शीघ्र ही आप लोगों के सामने यूनिवर्सिटियों के वर्तमान ऐक्टों को, जो अब पुराने हो चले हैं, संशोधन के लिये प्रस्तुत किया जाय।

१६—शिक्षा के साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण योजनायें भी हैं जिनके अन्तर्गत सभी प्रकार की जनता को चिकित्सा सहायता पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जन-संख्या की वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप भूमि पर भार बढ़ने के कारण बेरोजगार व्यक्तियों के लिये छोटे-छोटे धन्धों को उपलब्ध कराने का महत्व वास्तविक रूप से बढ़ गया। हमारी सरकार का विश्वास है कि हमारे इस कृषि प्रधान देश में संतुलित अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से घरेलू उद्योग-धन्धों के पुनरुद्धार और विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिये, क्योंकि बड़े-बड़े उद्योगों को कायम करना साधारण बात नहीं है। अतएव सरकार घरेलू उद्योग-धन्धों की वृद्धि तथा प्रसार के लिये सब कुछ करेगी। उत्पादित माल को अच्छा बनाने और उसके क्रय-विक्रय के लिये सुविधायें प्रदान करने के निमित्त भरसक प्रयास किया जायगा।

१७—स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में हमारी सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा ग्राम-पंचायतों के बीच अधिक युक्तिपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है। इन दोनों संस्थाओं का हमारी ग्रामीण जनता के कल्याण से बहुत घनिष्ट संबंध है। ज्योंही विचाराधीन योजना के ब्योरे अंतिम रूप से निश्चित हो जायेंगे, सरकार राज्य के प्रमुख नगरों में भी म्युनिसिपल कारपोरेशन स्थापित करने का विचार करेगी। निर्वाचनों से संबंधित वर्तमान उपबन्धों

को संविधान और आजकल की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की कार्रवाइयों के, जो प्रारम्भ कर दी गई हैं, समाप्त हो जाने के बाद तुरन्त ही स्थानीय निकायों के निर्वाचन किये जायेंगे। यथोचित समय में आपसे उपर्युक्त प्रयोजनों के निमित्त आवश्यक विधेयक पारित करने के लिये कहा जायगा।

१८—राज्य में न्याय प्रशासन की प्रणाली को, हमारी आवश्यकताओं, प्रतिभा एवं परम्पराओं के अधिक अनुकूल बनाने के लिये हमारी सरकार न्याय संबंधी बहुत से सुधार पहले ही कर चुकी है। सरकार को न्याय संबंधी सुधार समिति (जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी) की तथा कुमायूं और जौनसार भाबर में नियमित दीवानी न्यायालयों के स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इन रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है और आशा की जाती है कि उनकी सिफारिशों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी।

१९—आर्थिक अथवा सामाजिक उत्थान की किसी योजना को सफल बनाने के लिये, यह आवश्यक है कि उसे उन लोगों का, जिनके लिये वह योजना बनाई गई है, सानुराग सहयोग प्राप्त हो। जब तक कि लोग स्वयं अपनी सहायता नहीं करेंगे केवल सरकारी प्रयत्नों से ही उनको अधिक लाभ नहीं हो सकता, विशेषकर हमारे जैसे देश में, जो बहुत समय तक विदेशी आधिपत्य में रहा है और अब भी उसके परिणामों को भोग रहा है। पंचवर्षीय योजना में वर्णित विभिन्न राष्ट्र-निर्माण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये हमारी सरकार जो कुछ भी किया जा सकता है, करती रहेगी। लेकिन स्पष्ट है कि उसके साधन सीमित हैं और जितने शीघ्र हम चाहते हैं उतनी शीघ्रता से पर्याप्त मात्रा में वांछित परिणाम नहीं निकल सकते। हमारे पास अपरिमित जनबल है जो आज बेकार पड़ा हुआ है। हमारी जनता को यह अनुभव करना है कि उन्हें एक नवीन भारत का, जो उसकी प्राचीन महत्ता तथा अन्तरराष्ट्रीय शील (कमेटी आफ नेशन्स) में उसके स्थान के अनुरूप हो, निर्माण करना है। सबके कल्याण तथा सबकी समृद्धि में प्रत्येक का कल्याण और समृद्धि निहित है। कोई भी व्यक्ति इतना असमर्थ नहीं है कि इस उदार कार्य में कुछ हाथ बटा न सके। यदि लोग इस सिद्धांत पर कि स्वावलम्बन सहायता का सबसे अच्छा रूप है, स्वेच्छा से ही काम करें तो अल्पकाल में ही देहातों में नये जीवन और नये ओज के संचार करने में बड़ी प्रगति हो सकती है। साथ ही हमारी सरकार सब स्तरों पर कार्यवाही करने की मौलिक आवश्यकता को समझती है, क्योंकि ठोस कार्य ही, चाहे वह थोड़े पैमाने पर ही क्यों न किया गया हो, लोगों के उत्साह को जागृत कर सकता है और उनकी दिलचस्पी को बनाये रख सकता है।

२०—किसी भी जनतन्त्रात्मक राज्य में विशुद्ध तथा कार्यक्षम प्रशासन उसकी प्रगति के लिये आवश्यक है। ऐसे देश के लिये, जो विदेशी दासता से अभी मुक्त हुआ है, और दीर्घकालीन उपेक्षा तथा शोषण के प्रभाव को मिटाने का प्रयत्न कर रहा हो, यह बात और भी आवश्यक है। हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से संबंधित अनुशासन संबंधी मामलों का निर्णय करने के लिये एक निश्चित, स्पष्ट और आशुकारी प्रक्रिया की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है जिससे कि राज्य की सेवाओं में सदाचारी, ईमानदार और कार्यक्षम व्यक्ति उपलब्ध हो सकें। वर्तमान प्रशासन के कार्यों का भी हमारी सरकार इस उद्देश्य से पुनरावलोकन कर रही है कि उसको इस प्रकार बदल दिया जाय कि वह सुधार एवं राष्ट्र-निर्माण की विभिन्न योजनाओं को जिनका ध्येय लोगों के सांस्कृतिक, नैतिक एवं रहन-सहन के स्तर को उन्नत करना हो, शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित कर सके। यह भलीभांति समझते हुये कि प्रगति अन्ततः राज्य की वित्तीय स्थिति के सुधार पर ही निर्भर है, सरकार ने निश्चय किया है कि जहां कहीं भी संभव हो मितव्ययिता की जाय और लाभप्रद तथा समुचित ढंग से उपलब्ध साधनों को काम में लाया जाय।

२१—चूंकि नव संघटित विधान मंडल का सत्र मार्च, १९५२ ई० के समाप्त होने से पूर्व नहीं हो सका था इसलिये हमारी सरकार के लिये पुराने विधान मंडल के समक्ष

ही अस्थायी बजट प्रस्तुत करना तथा प्रचलित वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिये लेखानुदान प्राप्त करना आवश्यक हो गया। अतएव आपसे यथासमय १९५२-५३ ई० के सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये सामान्य वार्षिक बजट स्वीकृत करने के लिये कहा जायगा। बजट स्वीकृत होने के पश्चात् बजट से सम्बद्ध विनियोग विधेयक भी प्रस्तुत किया जायगा।

२२—उस अवधि में जबकि विधान मंडल का सत्र (सेशन) नहीं हो रहा था, मैंने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ ई० प्रचारित किया था। आपसे इस विषय पर एक विधेयक पारित करने के लिये कहा जायगा।

२३—राज्य के कुछ भागों में यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ८७ के अधीन लगान के परिवर्तन (कम्यूटेशन) के लिये जमींदारों को सूचना (नोटिस) दिये बिना ही आज्ञायें जारी कर दी गई हैं। इस उद्देश्य से कि अधिक संख्या में व्यवहार (प्रोसीडिंग्स) न किये जायं और फरीकों के लिये अनावश्यक कठिनाइयां पैदा न हों, उपर्युक्त स्थिति को नियमानुकूल करने का विचार है। अतएव आपसे उत्तर प्रदेश लगान का नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक, १९५२ ई० पारित करने के लिये कहा जायगा।

अब १ जुलाई, १९५२ ई० से जमींदारियां राज्य में निहित की जा रही हैं। इस अराजकता के काल में जनता के हितों की रक्षा करने के लिये आप से उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (हस्तान्तरण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई० पारित करने के लिये भी कहा जायगा।

२४—हाई कोर्ट के हाल ही के कतिपय निर्णयों के फलस्वरूप यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० के अन्तर्गत संघटित पंचायती अदालतों के संघटन (कान्स्टीट्यूशन) में कुछ त्रुटियां दृष्टिगोचर हुई हैं। अतएव आपसे उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पारित करने के लिये कहा जायगा।

२५—हमारी सरकार आपसे उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल (संशोधक) विधेयक, १९५२ ई० को, जिसका उद्देश्य यू० पी० शुगर फैक्ट्रीज़ ऐक्ट, १९३८ का कार्यकाल, जो ३० जून, १९५२ ई० को समाप्त होता है, दो वर्ष के लिये और बढ़ाना है, पारित करने के लिये कहेगी।

२६—प्रकीर्ण विषयों से संबद्ध कुछ और विधेयक भी आपके समक्ष प्रस्तुत किये जायंगे।

२७—मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर, जो आपके सामने रक्खे जायंगे, विचार करते समय आप बुद्धिमत्ता, गम्भीरता, निष्पक्षता तथा दूरदर्शिता से काम लेंगे। अब मैं आपसे बिदा होता हूं। ईश्वर आपको सब प्रकार की शक्ति प्रदान करे।

जय हिन्द !

(११ बज कर ४० मिनट पर महामान्य राज्यपाल ने प्रस्थान किया और तत्पश्चात् विधान मण्डल के सदस्य भी चले गये। विधान सभा की बैठक सभा-मंडप में १२ बजे माननीय अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

सदस्यों का शपथ ग्रहण करना

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की—

१—श्री जगपति सिंह (माननीय अध्यक्ष के कमरे में)।

२—श्री परमेश्वरी राम (माननीय अध्यक्ष के कमरे में)।

३—श्री मान्धाता सिंह (विधान सभा में)।

अलीगढ़ जिले में पुलिस के अत्याचारों पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

माननीय अध्यक्ष—अभी अभी मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव आया है। इसमें अलीगढ़ जिले में जो पुलिस के अत्याचार हो रहे हैं उनका जिक्र किया गया है। इसका

उद्देश्य उनके विवरण पर विचार करने के लिये कार्यक्रम के अनुसार कार्य स्थगित करना है। यह काम रोको प्रस्ताव ऐसा है जो कोई बात ऐसी स्पष्ट नहीं बताता कि जिससे यह मालूम हो कि यह बहुत अर्जेन्ट है। इसमें स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि किस प्रकार के अत्याचार या कौन से अत्याचार हो रहे हैं बल्कि पुलिस के अत्याचार के बारे में एक आम बात कही गई है। इसलिए और इसके कारण भी कि इस प्रश्न के ऊपर जो गवर्नर साहब, यानी महामान्य राज्यपाल का अभी भाषण हुआ है, उसमें विचार किया जा सकता है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

१९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक [एप्रोप्रिएशन बिल] पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १७ मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति २४ मार्च, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का द्वितीय अधिनियम बन गया।

१९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रिएशन (वोट आन अकाउंट) बिल] पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रिएशन (वोट आन एकाउंट) बिल] पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १८ मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २० मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति २४ मार्च, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का तृतीय अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता-निवारण विधेयक, १९५२ ई० पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १८ मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति २ अप्रैल, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का चतुर्थ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, सन् १९५२ ई० पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, सन् १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १८ मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति ३ अप्रैल, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का पंचम अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत-राज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १८ मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १२ अप्रैल, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का षष्ठ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) विधेयक, १९५२ ई० पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १८ मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १२ अप्रैल, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का सप्तम अधिनियम बन गया।

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण का माननीय अध्यक्ष द्वारा पढ़ा जाना

माननीय अध्यक्ष—नियमानुसार मुझे महामान्य राज्यपाल का ऐड्रेस पढ़ना आवश्यक है। यहां की प्रथानुसार मैं उसका, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में, प्रथम भाग और अंतिम भाग संकेत की तरह पढ़ देता हूं और मैं समझता हूं कि यह यहां की प्रथा के अनुकूल है, इसलिए इस सदन को मान्य होगा।

"Members of the Legislative Council and Lagislative Assembly,

I am very happy to have this opportunity of welcoming you all as Members of the first Legislature under our Constitution."

इसका अन्तिम भाग यह है कि—

"I have the fullest confidence that wisdom, sobriety, impartiality and farsighedness will characterise your deliberations over the weighty matters that will come up before you. Let me wish you good-bye. May God grant all strength to your elbow.

Jai Hind!

हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है :—

"विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्यगण !

हमारे संविधान के अधीन संघटित पहले विधान मंडल के सदस्यों के रूप में आप सबका स्वागत करने का आज जो यह अवसर मिला है उससे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है।"

अन्तिम भाग इस प्रकार है, :—

"मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन सब महत्वपूर्ण विषयों पर, जो आपके सामने रखे जायंगे, विचार करते समय आप बुद्धिमत्ता, गंभीरता, निष्पक्षता तथा दूरदर्शिता से काम लेंगे। अब मैं आपसे विदा होता हूं। ईश्वर आपको सब प्रकार की शक्ति प्रदान करे।

"जयहिन्द"

माननीय श्री लालबहादुर का विधान सभा से त्याग-पत्र

माननीय अध्यक्ष—एक और भी विषय है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। मैं उसको सुना देना चाहता हूं।

"Dear Sir,

I have to tender herewith my resignation from the U. P. Legislative Assembly to which I was recently elected from Soraon (North)-*cum*- Phoolpur (West) Constituency. Kindly accept the same."

["प्रिय महोदय,

मुझे उत्तर प्रदेश विधान सभा से, जिसके लिये कि मैं कुछ ही समय पूर्व सोरों (उत्तर) फूलपुर (पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ था, यह त्यागपत्र देना है। कृपया इसे स्वीकार करें।"]

उपाध्यक्ष के निर्वाचन का कार्य-क्रम

माननीय अध्यक्ष--अब उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में मैंने जो फ़ैसला किया है वह मैं सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं। २७ मई, मंगलवार, के दिन उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके लिये कब से कब तक चुनाव का समय रहेगा, यह मैं बाद में निर्णय करूंगा जब कि मुझे यह मालूम हो जायगा कि कौन-कौन उम्मीदवार और कितने उम्मीदवार उसमें खड़े हुए।

नामांकन के कायदे के हिसाब से जब चुनाव २७ को होगा तो २६ तारीख के बारह बजे तक उसका समय है अर्थात् एक रोज़ पहले १२ बजे तक समय रहता है। वह कायदे में ही लिखा हुआ है। उसके अनुसार मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि २६ मई को बारह बजे तक नामांकन का समय है। उस समय तक सब नामांकन हो जाने चाहिये।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ ई०

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर (न्याय मंत्री)-- मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ ई० की प्रतिलिपि मेज़ पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५४ पर)

मेसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड और मथुरा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, मथुरा में वैयक्तिक मज़दूरी के निर्धारण के सम्बन्ध में लेबर अपेलेट ट्रिब्यूनल आफ इंडिया द्वारा दिये गये पंच-निर्णय के विषय में एक नोट की प्रतिलिपि का मेज़ पर रखा जाना

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (पुलिस मंत्री)—श्रीमान्, मैं मेसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड और मथुरा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, मथुरा में वैयक्तिक मज़दूरी के निर्धारण के सम्बन्ध में ७ मार्च, सन् १९५२ ई० को लेबर अपेलेट ट्रिब्यूनल आफ़ इंडिया द्वारा दिये गये पंच निर्णय के परिष्कृत करने के कारणों को व्यक्त करते हुए एक नोट की प्रतिलिपि मेज़ पर रखता हूं।

कार्य-सूची के कुछ कार्यों का स्थगन

माननीय अध्यक्ष--अब कार्य सूची के नम्बर ९, ११ और १२ की हिन्दी प्रतिलिपि मेरे पास नहीं पहुंची, इसलिये उन्हें आज पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। मैं १० नम्बर का कार्य लेता हूं।

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)— मैं उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का विधेयक, १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५५ पर)

विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ के अनुसार मई के चतुर्थ शुक्रवार को असरकारी कार्य न करने के सम्बन्ध में विनिश्चय

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त— अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियमावली के नियम १८ के उपबंधों के अनुसार २३ मई, सन् १९५२ ई० को जो कि महीने का चौथा शुक्रवार है, असरकारी कार्य होना चाहिये किन्तु सदन के सम्मुख उस दिन के लिये कोई भी असरकारी कार्य नहीं है, इसलिये सदन यह निश्चय करता है कि २३ मई, सन् १९५२ ई० को गवर्नर महोदय के भाषण में अभिदिष्ट विषयों पर विवाद जारी रहे।

हमारे नियमों के अनुसार शुक्रवार के दिन नान-आफिशियल विजनेस (असरकारी कार्य) ही साधारणतया होना चाहिये परन्तु जैसा कि अनिवार्य था, इस बैठक के लिये न तो कोई प्रस्ताव और न कोई सूचना हो सकती थी और न प्रबन्ध ही हो सकता था। इसलिये कोई इस तरह की कार्यवाही नहीं हो सकी और गवर्नर महोदय के भाषण में अभिदिष्ट विषयों पर वाद-विवाद होना है, इसलिये २३ तारीख को असरकारी कार्य के बदले गवर्नर महोदय के भाषण पर वाद-विवाद हो जाय, यह मेरा प्रस्ताव है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियमावली के नियम १८ के उपबंधों के अनुसार २३ मई सन् १९५२ ई० को, जो कि महीने का चौथा शुक्रवार है, असरकारी कार्य होना चाहिये, किन्तु सदन के सम्मुख उस दिन के लिये कोई भी असरकारी कार्य नहीं है, इसलिये सदन यह निश्चय करता है कि २३ मई, सन् १९५२ ई० को गवर्नर महोदय के भाषण में अभिदिष्ट विषयों पर विवाद जारी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५२-५३ ई० के आय-व्ययक के सम्बन्ध में विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १५३ (१) की उपेक्षा करने के लिये संकल्प

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय वित्त मंत्री की ओर से मैं यह संकल्प उपस्थित करता हूं कि मार्च, १९५२ ई० में उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा चार मास के लिये लेखानुदान (वोट आन एकाउन्ट) स्वीकृत किया गया था और १९५२-५३ के सामान्य वार्षिक बजट पर इस सदन द्वारा आगामी जुलाई में विचार-विमर्श किया जायगा तथा तब ही वह स्वीकृत भी होगा,

अतएव यह संकल्प किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियमावली प्रक्रिया के नियम १५३ की जहां तक उसके अनुसार १० मई तक अनुदानों पर मतदान हो जाना आवश्यक है, उक्त बजट के सम्बन्ध में उपेक्षा कर दी जाय और उसकी उपेक्षा की जाती है।

इसका अर्थ स्पष्ट ही है कि जो हमारा नियम है उसके अनुसार १० मई तक पूरे बजट पर विचार हो जाना चाहिये था लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि १० मई तक इस साल यह चीज नामुमकिन थी क्योंकि सभी सदस्यों की नामावली

पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिये यह निश्चय किया जाता है कि जहां तक इस साल का संबंध है यह नियम स्थगित किया जाय क्योंकि अब तो अगली जुलाई में ही हो सकेगा। मैं आशा करता हूं कि इसको सब लोग स्वीकार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष---प्रस्ताव यह है कि मार्च १९५२ ई० में उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा चार मास के लिये लेखानुदान (वोट आन एकाउन्ट) स्वीकृत किया गया था और १९५२-५३ के सामान्य वार्षिक बजट पर इस सदन द्वारा आगामी जुलाई में विचार विमर्श किया जायगा तथा तब ही वह स्वीकृत भी होगा,

अतएव यह संकल्प किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १५३ की जहां तक उसके अनुसार १० मई तक अनुदानों पर मतदान हो जाना आवश्यक है, उक्त बजट के संबंध में उपेक्षा कर दी जाय और उसकी उपेक्षा की जाती है।

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वर्तमान सप्ताह का कार्यक्रम

माननीय अध्यक्ष---अब साधारणतया जो कार्य हफ्ते में हुआ करते हैं सदन के नेता उनके विषय में चर्चा करते हैं। लेकिन इस हफ्ते में तो केवल एक ही काम होना है जो सर्वविदित है और उसके विषय में मैं यह निर्णय कर चुका हूं कि महामान्य राज्यपाल के ऐड्रेस के ऊपर दो दिन यानी कल और परसों, २२ और २३ तारीख को बहस होगी। शनिवार को छुट्टी रहती है इसलिये हफ्ते के पूरे दिन उसमें आ जाते हैं। इसलिये मैं इस सदन को यह सूचना देता हूं कि महामान्य राज्यपाल के ऐड्रेस के ऊपर इस सदन में दो दिन, २२ और २३, को बहस रहेगी।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---वे बिल जो आपके पास न आने की वजह से नहीं पेश किये जा सके, कल पेश कर दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष---अब इस सदन को मालूम हो कि वे बिल कल पेश होंगे।

(इसके अनन्तर सदन १२ बजकर २२ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२१ मई, १९५२ ई०।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५१ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ ई०

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५, १९५२ ई०)

[उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने भारत संविधान के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत दिनांक २४ अप्रैल, १९५२ ई० को प्रचारित किया और दिनांक २५ अप्रैल, सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।]

यू० पी० ऐक्ट ४, १९५२ ई० ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता-निवारण अधिनियम, १९५२ ई० को संशोधित करने के निमित्त,

अध्यादेश

यू० पी० ऐक्ट ४, १९५२ ई० ।

गवर्नर को संतोष है कि ऐसी परिस्थिति वर्तमान है जिसके कारण उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता-निवारण अधिनियम, १९५२ ई० को कुछ प्रयोजनों के निमित्त तुरन्त संशोधित करना आवश्यक है,

और उत्तर प्रदेश विधान मंडल की बैठक इस समय नहीं हो रही है;

अतएव अब भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के गवर्नर निम्नलिखित अध्यादेश प्रचारित करते हैं।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

१—(१) इस अध्यादेश का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ ई०" होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ४, १९५२ की धारा २ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता-निवारण अधिनियम, १९५२ ई० की धारा २ के खंड (क) में शब्द "३०, अप्रैल, १९५२" के स्थान पर शब्द "३० जून, १९५२" रक्खे जायं।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५२ पर)

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का विधेयक, १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों की व्यवस्था करना आवश्यक है :

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई० होगा, — संक्षिप्त नाम ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंत्री को बारह सौ रुपया मासिक शुद्ध (नेट) वेतन दिया जायगा जिसमें इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, १९२२ के अनुसार लिये जाने वाले आय कर सम्मिलित नहीं होंगे। — मंत्रियों और उप-मंत्रियों का वेतन ।

(ख) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक उप-मंत्री को सात सौ पचास रुपया मासिक वेतन दिया जायगा।

३—(१) इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री लखनऊ में पूरे वर्ष के लिए तथा उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे स्थान में तथा ऐसी अवधि के लिये, जिसे इस विषय में राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय, बिना किराये का सुसज्जित निवास-स्थान उससे संलग्न भूमि सहित पाने का अधिकारी होगा और उसका रख-रखाव सार्वजनिक व्यय से होगा। — बिना किराए का सुसज्जित निवास-स्थान ।

(२) प्रत्येक उप-मंत्री एक सौ रुपया प्रतिमास मकान के किराये का भत्ता पाने का अधिकारी होगा।

४—(१) इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री के उपयोग के लिए उपयुक्त परिवहन की व्यवस्था की जायगी जिसका क्रय तथा रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक व्यय से किया जायगा। — मंत्रियों के लिये सरकारी परिवहन तथा यात्रिक भत्ता ।

(२) प्रत्येक उप-मंत्री को एक सौ पचास रुपया प्रतिमास परिवहन भत्ता (कन्वेयेन्स एलाउन्स) दिया जायगा।

(३) प्रत्येक मंत्री तथा उप-मंत्री को सार्वजनिक कार्य के लिए की गई यात्राओं के निमित्त ऐसी दरों पर और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं, यात्रिक तथा दैनिक भत्ता पाने का अधिकार होगा ।

५—यू० पी० मिनिस्टर्स सैलरीज़ ऐक्ट, १९३७ एतद् द्वारा निरस्त होगा और निरस्त किया जाता है। — १९३७ के अधिनियम संख्या १ का निरसन ।

नियम ।

६—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) उक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुये धारा २ में उल्लिखित करों के राज्य सरकार द्वारा दिये जाने और उनके पुनर्भुगतान की व्यवस्था ऐसे नियमों में की जा सकती है।

उद्देश्य और कारण

भारत के संविधान के अनुच्छेद १६४ (५) में व्यवस्था की गई है कि मंत्रियों को ऐसे वेतन और भत्ते दिए जायंगे जिन्हें राज्य विधान मंडल समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे। इस विधेयक में उप-मंत्रियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों की भी व्यवस्था है। तदनुसार व्यवस्था की जा रही है।

गोविन्द वल्लभ पन्त,
मुख्य मंत्री ।

विधान मुद्रण

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १९ एल० ए०—१९५२.